न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— करतार सिंह पूनियाँ आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 2019/00177 (177/2019) 223 आरटीएक्ट

जगदीश प्रसाद पुत्र रामकरण जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। —अपीलाण्ट

बनाम

1. मानव पुत्र सीताराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर नाबालिग जारिये कुदरति वली व वाद मित्र सरोज पत्नी सीताराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा हाल वार्ड नं. 14 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर, राजस्थान।
2. सरोज पत्नी सीताराम जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा हाल वार्ड नं. 14 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. सन्दीप
4. सीताराम
5. विनोद
6. नवीन

(3 से 6) पिसरान जगदीश प्रसाद जाति बिश्नोई साकिन लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

7. श्योपत पुत्र रामरकण जाति बिश्नाई साकिन थिराजवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
8. बनवारी पुत्र रामकरण जाति बिश्नोई लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. चावली पत्नी दौलतराम
10. सतपाल पुत्र दौलतराम
11. इन्द्र पुत्र दौलतराम
12. महावीर पुत्र दौलतराम
13. विमला पुत्री दौलतराम
14. सीमा पुत्री दौलतराम
15. गुड्डी पुत्री दौलतराम

(9 से 15) जाति बिश्नोई साकिन रणजीतपुरा तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर, राजस्थान

16. गुड्डी देवी पत्नी पृथ्वी
17. विक्रम पुत्र पृथ्वी
18. रोहित पुत्र पृथ्वी

(16 से 18) जाति बिश्नोई साकिन [illegible] या पुराने कुए के पास [illegible] तहसील [illegible]।

19. अनोखी पत्नी रामेश्वर जाति [illegible] तहसील रायसिंहनगर [illegible] श्रीगंगानगर।
20. चंदो देवी पत्नी रामप्रताप जाति बिश्नोई साकिन 64 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:28 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

21 वेदप्रकाश पुत्र बनवारी } जाति बिश्नोई साकिन 2 पीबी तहसील खाजूवाला
22 गुड्डी पुत्री बनवारी } जिला बीकानेर।

23 रामचन्द्र पुत्र लखाराम
24 विष्णु पुत्र लखाराम
25 श्यामसुन्दर पुत्र लखाराम
26 भादरी पुत्री लखाराम
27 ठमानती पुत्री लखाराम
28 कृष्णा पुत्री लखाराम
} जाति बिश्नोई साकिन सुखचैनपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।

29 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।

30 उपपंजीयक पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

31 एसबीबीजे (मर्जर एसबीआई) शाखा लिखमीसर जरिये शाखा प्रबन्धक।

–रेस्पोडेण्ट

(2) अपील संख्या 2019/00193 (193/2019) 223 आरआईएक्ट

1. मानव आयू– 8 वर्ष पुत्र स्व0 सीताराम जाति बिश्नोई निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ हाल आबाद वार्ड नं0 14 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये कुदरतीवलिया व माता मु0 सरोज धर्मपत्नी स्व0 श्री सीताराम आयु 37 वर्ष जाति बिश्नाई, निवासी लिखमीसर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ, हाल आबाद वार्ड नं. 14 पुरानी आबादी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2. मु0 सरोज धर्मपत्नी स्व0 श्री सीताराम जाति बिश्नोई निवासी लिखमीसर तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ, हाल आबाद वार्ड नम्बर 14 पुरानी आबादी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलाण्ट/वादीगण

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 श्री रामकरण, जाति बिश्नोई निवासी लिखमीसर, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

2. संदीप
3. विनोद
4. नवीन
} पुत्रगण जगदीशप्रसाद पुत्र स्व0 श्री रामकरण जति बिश्नोई, निवासीगण लिखमीसर, तहसील पलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

5. तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

6. उपपंजीयक, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

7. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (वर्तमान भारतीय स्टेट बैंक) शाखा लिखमीसर जरिये शाखा प्रबन्धक, निवासी लिखमीसर, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.09.2019 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा प्रकरण संख्या 165/2013 बअनवानी मानव आदि बनाम जगदीशप्रसाद आदि

श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता अपीलाण्ट अपील संख्या 2019/00177

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट अपील संख्या 2019/00193

श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः– 05.04.2021

1. वादी मानव आदि ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 53 आरटीएक्ट के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें चक 10 एलजीडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा के खाता संख्या 29/27 सम्वत 2067–2070 तादादी 6.325 है0 व चक 7 एलकेएस तहसील पीलीबंगा के खाता संख्या 46/38 सम्वत 2067–70 तादादी 0.253 है0 भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व मुताबिक घोषणा अपने हक व हिस्सा की भूमि का अच्छी मंदी व रास्ता खाला की सुविधा अनुसार खाता विभाजन किये जाने का अनुतोष याचित किया था। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 व 6 ने जवाब दावा पेश किया कि वादी की कुदरती वली माता अपने पति सीताराम से अलग रह रही है जिसने अपने पति के खिलाफ दहेज आदि के मुकदमे किये हुए हैं जो वादी मानव के हिस्सा के नाम पर प्रतिवादीगण की भूमि अपने नाम करवा कर खुर्द बुर्द करना चाहती हैं का कथन करते हुए वादी का वाद खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में वर्णितानुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करते हुए राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने की डिक्री पारित की जिससे व्यथित होकर दोनों पक्षों ने अलग अलग अपीलें पेश की हैं।

2. अपील संख्या 2019/00177 अनवानी जगदीश प्रसाद बनाम मानव आदि में अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई गलत एवं विधि विरूद्ध है। वादी एवं वादीया द्वारा 1/10 हिस्सा ब0हि0ब0 लेने का अनुतोष चाहा गया था। वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी सं0 4 सीताराम के फौत होने के बाद दावा संशोधित नहीं करवाया गया और न ही 1/10 हिस्सा से अधिक कोई अनुतोष चाहा [illegible] के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अनुतोष के हिस्सा [illegible] डिक्री पारित की है। प्रतिवादी सं0 2 दौराने दावा फौत [illegible] रेस्पोन्डेण्ट सं0 7 ता 28 व अपीलाण्ट है। इस बात की वादी मानव व सरोज [illegible] पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद भी उन्होंने वारीसान को रिकार्ड पर नहीं लिया है। दावा अबेट हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय में मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है। वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:28 IST
Reason: SelfAttested

Lamo

Scanned with CamScanner

का कभी भी प्रश्नगत भूमि पर कब्जा नही रहा है बिना कब्जा काश्त के धारा 88 रा0 का0 अधि0 का दावा नाकाबिल चलने के है। चक 7 एलकेएस की भूमि मुझ अपीलाण्ट को अपनी माता बाली देवी से दिनांक 26.04.2011 को जरिये दानपत्र प्राप्त हुइ है इसलिए यह भूमि पूर्व में भी पैतृक सम्पति नहीं थी इस बाबात अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में सबूत पेश किये थे जिनपर कोई गौर नही किया गया है। वादीगण के पिता व पति सीताराम ने कभी भी प्रश्गनत भूमि में कोई हिस्सा लेने की घोषणा नहीं चाही थी और न ही वह हिस्सा लेना चाहता था। प्रश्नगत भूमि पर वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1990 पेज 425, आरआरडी 1992 पेज 634, आरबीजे (6) 1999 पेज 128 व पेज 159, आरआरटी 2011 (1) पेज 64 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

3. अपील संख्या 2019/00193 मानव आदि बनाम जगदीश प्रसाद आदि में अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन में अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा के साथ साथ खाता विभाजन का अनुतोष भी याचित किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र में याचित इस अनुतोष के संबंध में निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया है। खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्रदत्त किये जाने के बावजूद अपीलांट द्वारा याचित खाता विभजान का अनुतोष प्रदत नहीं किये जाने के कारण प्रश्नगत आदेश हस्तक्षेप है। आदेश 7 नियम 7 सीपीसी के अन्तर्गत स्पष्टतः याचित अनुतोष के संबंध में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के क्रियात्मिक आदेश में तहसीलदार पीलीबंगा से मुताबिक घोषणा खाता विभाजन के प्रस्ताव मंगवाये जाने आवश्यक थे। अधीनस्थ न्यायालय ने खाता विभजान के संबंध में कोई पृथक से विवादक विरचित नहीं किया। खाता विभाजन का अनुतोष प्रदत नहीं होने अपीलाण्ट के विधिक अधिकार प्रभावित हुए हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खाता विभाजन का अनुतोष प्रदत्त नहीं किये जाने की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं अपील मे खाता विभाजन का अनुतोष करते हुए खाता विभाजन की प्राथमिक डिक्री परित की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में [illegible] 2019 (1) पेज 830 एससी, सीसीसी सीसीसी 2007 (3) पेज 625 [illegible] आरआरडी 1975 पेज 207 1995 (2) पेज 711 एससी, आर[illegible] 1986 पे[illegible]96, [illegible]049, आर[illegible]जे 2008 पेज एचसी, आरआरडी 1967 पेज 302, आरआरटी 2009 (2) [illegible] 265 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:28 IST
Reason: SelfAttested

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी मानव वगैरह ने धारा 88 एवं 53 आरटीएक्ट का वाद पेश किया था

Scanned with CamScanner

जो अधिकारों की घोषणा की हद तक स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध दोनों पक्षों ने अपील प्रस्तुत की है। वादी मानव आदि का कथन है कि उनके द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा के साथ–साथ खाता विभाजन का अनुतोष भी मांगा गया था जो नहीं दिया गया है तथा प्रतिवादी जगदीश का कथन है कि प्रतिवादी सं0 4 के फौत होने के उपरान्त दावा को संशोधित नहीं करवाया गया, भूमि पैतृक सम्पति नहीं है, वादीगण का इसमें कोई हक हिस्सा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने वाद प्रस्तुती के समय सीताराम के 1/5 हिस्सा में से 1/10 हिस्सा की घोषणा चाही। दौराने दावा सीताराम का देहान्त होने पर अनुतोष को mould करते हुए वादी सं0 1 को सीताराम के 1/5 हिस्सा में से 3/4 व वादी की माता मुस्मात सरोज को 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया है। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट/वादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त सीसीसी 2007 (2) पेज 625 सुप्रिम कोर्ट व सीसीसी 2019 पेज 830 सुप्रिम कोर्ट में यह प्रतिपादित किया गया है कि वाद की लम्बित अवस्था में परिवर्तित अवस्था में आदेश 7 नियम 7 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार अनुतोष में परिवर्तन किया जा सकता हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने स्वर्गीय सीताराम के देहान्त उपरान्त वादीगण को विधि अनुसार प्राप्त होने वाले अनुतोष को प्रदत्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। जहां तक वाद के अबेट होने का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मु0 बाली अनावश्यक पक्षकार थी क्योंकि मु0 बाली ने अपने 0.253 है0 भूमि जगदीश को वादपत्र प्रस्तुत होने से पूर्व ही दान कर दी थी। मु0 बाली की मृत्यु होने पर उसकी सम्पदा को प्राप्त करने वाला जगदीश बतौर प्रतिवादी रिकार्ड पर था। अतः वाद पत्र अबेट नहीं हो सकता है। उक्त विवेचन अनुसार अपीलाण्ट जगदीश द्वारा प्रस्तुत अपील में बल नहीं पाया जाता तथा इनके द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. जहां तक अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा खाता विभाजन का अनुतोष याचित करने के बावजूद यह अनुतोष प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है जो उचित नहीं है। पत्रावली पर अपीलाण्ट/वादीगण ने खाता विभाजन के अनुतोष के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य भी प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट/वादीगण की ओर से खाता विभजान का अनुतोष के सम्बन्ध में विवादक [illegible] जाना आवश्यक था। अपीलाण्ट/वादीगण की ओर से प्र[illegible] 2009 पेज 1049 व आरबीजे 2008 पेज 265 में प्रति[illegible] नियम 25 सीपीसी के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय को विवादक [illegible]त करने की अधिकारिता है। हस्तगत प्रकरण में खाता विभाजन के अनुतोष के सम्बन्ध में अधिवचन व साक्ष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्रावली पर मौजूद है। अतः यह न्यायालय निम्नलिखित अतिरिक्त विवादक विरचित करती है'

''आया वादीगण मुताबिक घोषणा अपनी घोषित भूमि का खाता विभाजन करवाने एवं पृथक से कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं?'' –सिद्धभार वादीगण

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट/वादीगण को प्रश्नगत भूमि में से 1/5 हिस्सा अर्थात 1.3156 है0 भूमि में से अपीलाण्ट संख्या 1 को 3/4 हिस्सा व अपीलाण्ट संख्या 2 को 1/4 हिस्सा खातेदार घोषित किया गया है जो विधि सम्मत है तथा अपीलाण्ट/वादीगण उक्त भूमि संयुक्त खाता में से अच्छी मंदी के लिहाज से खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं तथा खाता विभाजन की प्राथमिक डिक्री प्रदत्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील संख्या 2019/00177 ''जगदीश प्रसाद बनाम मानव आदि'' खारिज की जाती है एवं अपील संख्या 2019/00193 ''मानव आदि बनाम जगदीश आदि'' आदि स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एव डिक्री दिनांक 04.09.2019 को खाता विभाजन का अनुतोष प्रदत्त नहीं किये जाने की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि वह प्रश्नगत संयुक्त खाता की भूमि में से अपीलाण्ट के घोषित 1/5 हिस्सा अर्थात 1.3156 है0 में से अपीलाण्ट संख्या 1 का 3/4 हिस्सा व अपीलाट संख्या 2 का 1/4 हिस्सा को अच्छी मंदी के लिहाज से तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा के खाता विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाकर व उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अन्तिम खाता विभाजन की डिक्री प्रदत्त की जावे व तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्राथमिक डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 5.4.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.09 14:57:28 IST
Reason: SelfAttested

(करतार सिंह पूनिया आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ